राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1162/2011

प्रकाश चन्द जैन —अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
2. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.08.2011
आदेश की दिनांक : 02.02.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमंत धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 04.07.1970 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर सिंचाई विभाग में हुई। अपीलार्थी ने प्रथम प्रयास में अगस्त 1978 में विधिवत टाईप टेस्ट पास कर लिया। राजस्थान न्यू पेंशन स्केल रुल्स 1976 में अपीलार्थी का वेतन स्थिरीकरण किया गया, किन्तु अपीलार्थी को दिनांक 01.04.1977 से दिनांक 28.02.1980 की अवधि के मध्य की एरियर राशि का भुगतान नहीं किया गया। अपीलार्थी ने आर.एस.आर रूल्स 35 ए (3) के अन्तर्गत वेतनमान 385—650 में रूपये 490 से 530 जम्प का लाभ नियमानुसार लेना चाहा जो लाभ आज तक स्वीकृत नहीं किया गया। अपीलार्थी का राजकीय माध्यमिक विद्यालय पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा से दिनांक 15.01.1996 को लीडी अजमेर एवं दिनांक 05.02.1996 को काछोला भीलवाडा में पदोन्नति पर स्थानान्तरण किया गया, किन्तु काछोला से 6 दिन का उपार्जित अवकाश अब तक नहीं दिया गया, जिसकी राशि 5500/— रुपये है। राज्य सरकार (वित्त विभाग) के आदेश दिनांक 25.01.19921 की पालना में अपीलार्थी को 18 वर्षिय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.01.1992 के स्थान पर दिनांक 25.01.1993 से एवं 27 वर्षिय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 04.07.1997 के स्थान पर दिनांक 04.07.1998 से दिया गया। अपीलार्थी 18 वर्षिय द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.01.1992 से 27 वर्षिय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 04.07.1997 से प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके अलावा पेंशन विभाग ने दिनांक 25.01.1992 से 11.02.1996 की अवधि के चयनित वेतनमान की राशि 5,780/—रुपये की वसूली कर ली। अपीलार्थी की सेवा आरम्भ तिथि दिनांक 04.07.1970 है तथा अपीलार्थी से कनिष्ठ कर्मचारी श्री भगवान भेजवानी की सेवा आरम्भ की तिथि जनवरी 1973 है। अपीलार्थी के कनिष्ठ कर्मचारी की सेवा आरम्भ अवधि 1973 मानते हुए 15 वर्षिय वार्षिक वेतन

पदोन्नति लाभ, 18 वर्षिय सेवा अवधि आर्थिक लाभ, पदोन्नति लाभ तथा दिनांक 25.1.1992 से चयनित वेतनमान दिया गया, जबकि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 4.7.1970 होते हुए भी उक्त लाभों से वंचित किया गया है अतः अपीलार्थी अपने कनिष्ठ कर्मचारी के समान उक्त लाभ उसकी नियुक्ति दिनांक 04.07.1970 के आधार पर प्राप्त करने का अधिकारी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पण्डेल द्वारा 1998–99 में अपीलार्थी से लिखित आदेश के अनुसार निश्चित समय से अधिक कार्य कराया गया जिसकी अवधि 173 घंटे होती है, उक्त अवधि के अतिरिक्त अवधि में कराये गये कार्य का भुगतान अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्य आदेश से सितम्बर 2004 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पण्डेल से राजकीय उच्च माध्यामिक विद्यालय रावतभाटा जिला चित्तौडगढ एवं संशोधित राज्य आदेश भीण्डर के लिए किया गया, इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने सक्षम न्यायालय में चुनौती दी, जिस पर स्थगन प्राप्त हुआ। स्थगन आदेशानुसार अपीलार्थी ने वापिस पूर्व पदस्थापन स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पण्डेल में दिनांक 19.01.2005 को उपस्थिति दर्ज करने का आग्रह किया, किन्तु अपीलार्थी को उपस्थिति दर्ज करने तथा कार्य पर लेने से इन्कार कर दिया। अपीलार्थी ने दिनांक 20.01.2005 को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भीलवाडा में उपस्थिति दर्ज करवाई, जहाँ अपीलार्थी दिनांक 12.04.2005 तक कार्यरत रहा, किन्तु उक्त अवधि का अपीलार्थी को वेतन का भुगतान नहीं किया गया। अपीलार्थी 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य सेवा से दिनांक 11.02.2009 को सेवानिवृत हुआ। अपीलार्थी का पेंशन प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक उदयपुर ने दिनांक 05.02.2009 को पेंशन विभाग को भिजवाया, किन्तु अवैद्य व अनुचित रुप से अपीलार्थी के पेंशन प्रकरण को 15 माह तक लंबित रखा जाकर अत्याधिक विलम्ब से निपटारा किया गया जिसके कारण अपीलार्थी को उसकी पेंशन, ग्रेच्यूटी, कम्यूटेशन व अन्य लाभों से 15 माह विलम्ब से प्राप्त हुये। अपीलार्थी ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 02.08.2010 (अनुलग्नक–1) द्वारा प्रत्यर्थीगण को न्याय प्राप्ति हेतु नोटिस भिजवाया, किन्तु उसके बावजूद भी प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी को उक्त लाभ नहीं दिये गये है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर राजस्थान न्यू पेंशन स्केल रुल्स 1976 में अपीलार्थी का वेतन स्थिरीकरण किये जाने के फलस्वरुप दिनांक 01.04.1977 से दिनांक 28.02.1980 की एरियर राशि का भुगतान, आर.एस.आर रूल्स 35 ए(3) के अन्तर्गत वेतनमान 385–650 में रूपये 490 से 530 जम्प का लाभ, अपीलार्थी का राजकीय माध्यमिक विद्यालय पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा से दिनांक 15.1.1996 को लीडी अजमेर एवं दिनांक 05.02.1996 को काछोला भीलवाडा पदोन्नति पर स्थानान्तरण किया गया किन्तु काछोला से 6 दिन का उपार्जित अवकाश नहीं दिया गया, अतः उक्त 6 दिन को उपार्जित अवकाश के बदले नकद राशि का भुगतान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पण्डेल द्वारा 1998–99 में अपीलार्थी से लिखित आदेश के अनुसार निश्चित समय से अधिक कार्य 173 घंटे कराया गया उक्त अवधि के अतिरिक्त अवधि में कराये गये कार्य का भुगतान एवं अपीलार्थी को उसकी सेवानिवृति के 15 माह

बाद पेंशन, ग्रेच्यूटी, कम्यूटेशन व अन्य लाभ स्वीकृत किये गये अतः सेवानिवृति दिनांक से उक्त लाभ स्वीकृत करने की दिनांक तक उक्त राशियों पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान कराया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग ने अपील का मदवार जवाब प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य